

CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME

BETWEEN

**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDIA**

AND

**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF KENYA**

FOR THE YEARS 2023-2027

The Government of the Republic of India, represented by the Ministry of Culture and the Government of the Republic of Kenya represented by the Ministry of Gender, Culture, the Arts & Heritage (hereinafter jointly referred to as the "Parties" and separately as a "Party");

RECALLING of the implementation of the Cultural Agreement signed between the Parties in New Delhi on the 24th February, 1981; and

DESIRING to strengthen the friendly links between the Parties so as to deepen cultural relations between them;

Have agreed on the following Cultural Exchange Programme for the period 2023-2027.

Article 1

Music and Dance

The Parties shall exchange music and dance ensembles and/ or individual performing artists including classical and folk troupes for a period not exceeding 10 days each. Dates and other details of such exchange will be mutually agreed upon by the parties through diplomatic channels.

Article 2

Theatre

1. Both Parties shall encourage and facilitate the exchange of theatre performances in both countries and participate in local and international theatre festivals on mutually agreed terms.
2. Both Parties shall exchange theatre journals and publications on a reciprocal basis between the two countries on mutually agreed terms.

Article 3

Exhibitions, Seminars and Conferences

1. The Parties shall exchange contemporary and modern art exhibitions between the two countries on reciprocal basis on mutually agreed terms.
2. Both Parties will invite experts from the other side to participate in International seminars, symposiums, conferences, camps, residencies etc. on culture and arts.

Article 4

Archaeology

1. Both Parties shall support cooperation in the field of protection, conservation and promotion of the cultural heritage of both countries.
2. The Parties shall exchange one expert each in the field of protection and conservation of ancient monuments and archaeological sites, art objects and development of archaeological site museums for a two-week period, details of which shall be mutually agreed upon by the Parties through diplomatic channels.

Article 5

Archives

1. The Parties shall promote the exchange of information and documentation concerning the history of Kenya in the archives of India and the history of India in the archives of Kenya, as well as copies of documents (digital copies) of interest to both Parties in order to replenish in respective collections. Modalities will be worked out through mutual consultations.
2. Both Parties shall exchange experts for a period of one week in each case, in the fields of Records Management, Archives Administration and Conservation of Records, digitization and digital preservation of records.
3. The National Archives of India will provide professional training facilities to officials and students of Kenya in the courses run by the School of Archival Studies. Similarly, the National Archives of Kenya will provide professional training courses to officials of the National Archives of India.

Article 6

Library

1. Both Parties will exchange publications and other reading materials of mutual interest on a reciprocal basis.
2. The Parties will assist the exchange of library experts reciprocally with a view to promoting library activities between both countries. Details should be finalized through diplomatic channels.

Article 7 Museums

1. The National Museums on both sides will exchange exhibitions, museum exhibits and museum personnel. Exhibitions may also be organized jointly by the respective museums. Details shall be finalized through diplomatic channels.
2. Exchange of the museum's personnel/experts including Curators, Deputy Curators, Research Officers, Assistant Curators, and Conservators for a period of four weeks to share knowledge and expertise in respective fields.
3. Exchange of standard art publications.

Article 8 Literature

1. Both Parties shall exchange a writer's delegation on reciprocal basis. Details of such visits shall be mutually decided by the Parties through diplomatic channels.
2. Both parties shall promote the translation of literary works of famous writers and poets in both countries.

Article 9 Research and Documentation

Both parties shall facilitate:

1. Study of tone artistic heritage, Folklore /fold traditions and narrative forms.
2. Devising creative activities for cognitive and skill development of the students.
3. Exploring possibilities of developing educational activities at Art Academics, Museums, Cultural Centres and Educational Institutions for children.
4. Development of audio-visual and printed educational materials for students and teachers to have better understanding of tangible and intangible art forms of both the countries.

Article 10
Science Museums/Centres

Both Parties shall exchange one senior-level Science Communication professional to study science centres/museums and non-formal science education programmes in India and in Kenya. The professional from Kenya will visit India to study NCSM museum/centre programme for identifying and strengthening collaborative avenues for the development of interactive science centres and non-formal science learning centres, etc. The duration of the visit will be one week each.

Article 11
Anthropology

Both Parties shall exchange visits of experts in anthropology from different institutes of both countries.

Article 12
Festivals

The Parties shall conduct festivals in each other's country, which shall include the exchange of tours of performing arts groups of multiple participants from each side. The details of these tours and other activities shall be developed on the basis of reciprocity.

Article 13
Mass Media

1. Both Parties will exchange programmes depicting various facets of life and culture in the countries through their respective radio and TV organization.
2. Both Parties shall endeavour to strengthen relations between their national broadcasting organizations by exchange of programmes, and professionals and by utilizing training expertise and facilities available in their respective countries. Details of such exchange will be mutually agreed upon by the Parties through diplomatic channels.
3. Both Parties will invite each other to their International Film Festival.

Article 14

Youth Programmes

The Parties shall encourage the exchange of youth programmes, participation in youth festivals in either country, visits of the officials in charge of the Youth Affairs, and sharing of experiences, skills, techniques, information and knowledge in the areas of cooperation in youth affairs and participation of youth in seminars and conferences organized in both the countries on youth related issues.

Article 15

General and Financial Provisions

A. Exchange of individuals, delegations, and exhibitions:

Every Party shall send to the other Party the bio-data (including languages spoken and proposed itinerary) at least two months in advance of the expected date of the visit of the delegation or individuals selected under this Programme and bio-data of performing groups at an exhibition four months in advance. The receiving Party shall inform the other Party about agreeing to receive or postpone the date at least one month in advance.

B. Exchange of exhibitions:

A separate Agreement shall be reached between the promoting party and the receiving party with regard to the exhibition and its costs. The sending Party shall inform the receiving country about the technical details of the proposed exhibition. The necessary information for the elaboration of the corresponding catalogue must be sent three months before the inauguration date. The art exhibits must arrive at their destination 15 days before the opening of the exhibition.

C. Exchange of materials

Each contracting Party shall have the right to use the materials exchanged in the fields of information, Mass Media in its own programmes and such materials should not be given by the receiving party to a third Party.

D. Finances

While visiting representatives of groups, delegations, and performing groups to each other countries, sending Party shall provide international travel expenses, and the receiving Party shall provide boarding, food and internal travel expenses, as well as emergency expenses.

E. One-month duration visits:

The sending Party shall provide international travel expenses in respect of their performing groups and delegation in case of visits for a period not exceeding one month. The receiving Party shall provide hospitality, which includes free boarding and lodging, internal travel expenses and free medical care in case of sudden illness. This is applicable in respect of both Parties.

**Article 16
Settlement of Disputes**

1. Any dispute between the Parties arising out of the interpretation, application or implementation of this Cultural Exchange Programme shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties by way of diplomatic channels.
2. The provisions of this Cultural Exchange Programme shall not preclude the Parties from agreeing through the diplomatic channel, on other arrangements which may deem desirable.

**Article 17
Basic Principles of Implementation**

The parties shall adhere to the internationally accepted principles and values which shall be consistent with the applicable domestic laws.

**Article 18
Amendment**

1. This Programme may be amended at any time by mutual written consent of the Parties by an Exchange of Notes between the Parties through the diplomatic channel.
2. Such amendments shall be signed and dated prior to any changes being made, shall come into force on such a date as shall be mutually agreed upon and shall form part of the Programme.
3. Any amendment shall be done without prejudice to the rights and obligations arising from or based on this Programme prior to the date of such amendment.

**Article 19
Participation in Similar Activities**

This Programme in no way restricts the parties from participating in similar activities with other public or private organizations, agencies and individuals.

Article 20
Use of Information and Documents

Each Party undertakes to use the technical document, statistics and information received from the other Party only for the purpose approved by both Parties and will not disclose them to a third party without the prior consent of the other Party. In the event of termination of this Programme, the Parties agree that the preservation of confidentiality shall continue to apply between the Parties.

Article 21
Use of Trademarks, Logos and other Intellectual Property Rights

No Party shall use the trademarks, logos and other intellectual property rights of the other Party without the written consent of the other Party.

Article 22
Confidentiality

1. Both Parties shall keep confidential any information in their possession received from the other in the course of the implementation of this Programme.
2. Such information and any information produced as a result of the cooperative activities under this Programme shall only be used for the benefit of the Parties. Any information released to third Parties shall be with the jointly written consent of the Parties.

Article 23
Termination

1. Either Party may terminate this Programme by giving the other written notice of intention to terminate at least six (6) months before the termination date.
2. Any ongoing activities at the time of termination arising out of the Programme shall be carried out to their conclusion as if the Programme was in force.
3. In the event of this Programme being terminated, each Party shall be solely responsible for the payment of any expenses it has incurred pursuant to the termination.

Article 24
Coming into Force and Duration


This Programme shall come into effect from the date of its signature by both the Parties and shall remain valid for a period of five years. It shall automatically be extended for a subsequent period of five years at a time unless either of the Parties gives to the other a written notice, six months in advance, of its intention to terminate the Programme.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Programme in originals each in English and Hindi languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.


SIGNED IN NEW DELHI THIS 05th DAY OF DECEMBER 2023

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA**

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF KENYA**



.....
**SHRI GOVIND MOHAN
SECRETARY
MINISTRY OF CULTURE**



.....
**HON. DR. MUSALIA MUDAVADI, E.G.H.
PRIME CABINET SECRETARY AND
CABINET SECRETARY FOR FOREIGN
AND DIASPORA AFFAIRS**

भारत गणराज्य की सरकार

और

केन्या गणराज्य की सरकार

के बीच वर्ष 2023-2027 के लिए

सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम

भारत गणराज्य की सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है और केन्या गणराज्य की सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व लिंग, संस्कृति, कला और विरासत मंत्रालय द्वारा किया गया है (इसके पश्चात संयुक्त रूप से "पक्षकारों" के रूप में और अलग से "पक्षकार" के रूप में संदर्भित किया गया है); "

24 फरवरी, 1981 को नई दिल्ली में पक्षकारों के बीच हस्ताक्षरित सांस्कृतिक करार के कार्यान्वयन का स्मरण करते हुए; तथा

पक्षकारों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की इच्छा करते हुए ताकि इनके बीच सांस्कृतिक संबंधों को गहन बनाया जा सके;

2023-2027 की अवधि के लिए निम्नवत सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर सहमति व्यक्त की है।

अनुच्छेद-1 संगीत और नृत्य

पक्षकार संगीत और नृत्य वेशभूषाओं और/या शास्त्रीय और लोक मंडलियों सहित व्यक्तिगत प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का अधिकतम 10 दिन की अवधि के लिए आदान-प्रदान करेंगी। इस प्रकार के आदान-प्रदान की तारीखों और अन्य विवरणों के लिए दोनों पक्षकारों द्वारा राजनयिक चैनलों के माध्यम से पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की जाएगी।

अनुच्छेद-2 रंगमंच

1. दोनों पक्षकार दोनों देशों में रंगमंच प्रस्तुति के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे और इसे सुकर बनाएंगे और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय रंगमंच कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2. दोनों पक्षकार पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर दोनों देशों के बीच पारस्परिक आधार पर रंगमंच संबंधी पत्रिकाओं और प्रकाशनों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद-3

प्रदर्शनियां, संगोष्ठियां और सम्मेलन

1. दोनों पक्षकार पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर पारस्परिक आधार पर दोनों देशों के बीच समकालीन और आधुनिक कला प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान करेंगे।
2. दोनों पक्षकार संस्कृति और कला के संबंध में अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों, अन्य संगोष्ठियों, सम्मेलनों, शिविरों, आवासों आदि में भाग लेने के लिए दूसरे पक्षकार के विशेषज्ञों को आमंत्रित करेंगे।

अनुच्छेद-4

पुरातत्व

1. दोनों पक्षकार दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, अभिरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में सहयोग का समर्थन करेंगे।
2. दोनों पक्षकार प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों, कला वस्तुओं और पुरातात्विक स्थल संग्रहालयों के विकास के संरक्षण और अभिरक्षण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ का दो सप्ताह की अवधि के लिए आदान-प्रदान करेंगे, जिसका विवरण दोनों पक्षकारों द्वारा राजनयिक चैनलों के माध्यम से पारस्परिक रूप से स्वीकृत किया जाएगा।

अनुच्छेद-5

अभिलेखागार

1. पक्षकार, भारत के अभिलेखागार में मौजूद केन्या के इतिहास और केन्या के अभिलेखागार में मौजूद भारत के इतिहास के बारे में जानकारी और दस्तावेजीकरण को साझा करने के साथ-साथ दोनों पक्षकारों की अभिरुचि वाले दस्तावेजों (डिजिटल प्रतिलिपियों) की प्रतियों का आदान प्रदान करेंगे ताकि संबंधित संग्रह को फिर से बढ़ाया जा सके। आपसी परामर्श द्वारा इसके तौर-तरीकों पर कार्य किया जाएगा।

2. दोनों पक्षकार रिकॉर्ड प्रबंधन, अभिलेखागार प्रशासन और अभिलेखों के संरक्षण, डिजिटलीकरण और अभिलेखों के डिजिटल संरक्षण के क्षेत्र में एक सप्ताह की अवधि के लिए विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे।
3. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में केन्या के अधिकारियों और छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा, इसी तरह, केन्या का राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 6 **पुस्तकालय**

1. दोनों पक्षकार पारस्परिक आधार पर प्रकाशन और पारस्परिक हित की अन्य पठन सामग्री का आदान-प्रदान करेंगे।
2. दोनों पक्षकार दोनों देशों के बीच पुस्तकालय क्रियाकलापों को बढ़ावा देने की दृष्टि से पारस्परिक रूप से पुस्तकालय विशेषज्ञों के आदान-प्रदान में सहायता करेंगे। इससे संबंधित विवरण को राजनयिक चैनलों के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाएगा।

अनुच्छेद 7 **संग्रहालय**

1. दोनों पक्षकार राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनियों, संग्रहालय प्रदर्शनियों और संग्रहालय कर्मियों का आदान-प्रदान करेंगे। ये प्रदर्शनियाँ संबंधित संग्रहालयों द्वारा संयुक्त रूप से भी आयोजित की जा सकती हैं। विवरण को राजनयिक चैनलों के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाएगा।
2. संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान और विशेषज्ञता साझा करने हेतु चार सप्ताह की अवधि के लिए संग्रहाध्यक्ष, उप-संग्रहाध्यक्ष, शोध अधिकारी, सहायक संग्रहाध्यक्ष और संरक्षक सहित संग्रहालय के कर्मियों/विशेषज्ञों का आदान-प्रदान।
3. मानक कला प्रकाशनों का आदान-प्रदान।

अनुच्छेद 8 साहित्य

1. दोनों पक्षकार पारस्परिक आधार पर लेखक के प्रतिनिधिमंडल का आदान-प्रदान करेंगे। ऐसी यात्राओं का विवरण दोनों पक्षकारों द्वारा राजनयिक चैनलों के माध्यम से पारस्परिक रूप से तय किया जाएगा।
2. दोनों पक्षकार दोनों देशों में प्रसिद्ध लेखकों और कवियों की साहित्यिक कृतियों के अनुवाद को बढ़ावा देंगे।

अनुच्छेद 9 शोध और प्रलेखीकरण

दोनों पक्षकार निम्नलिखित सुविधा प्रदान करेंगे:

1. स्वर कलात्मक विरासत, लोकगीत/परंपराओं और कथा रूपों का अध्ययन।
2. छात्रों के संज्ञानात्मक और कौशल विकास के लिए रचनात्मक कार्यकलाप तैयार करना।
3. बच्चों के लिए कला शिक्षाविदों, संग्रहालयों, सांस्कृतिक केंद्रों और शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षिक कार्यकलापों के विकास की संभावनाएं तलाशना।
4. दोनों देशों के मूर्त और अमूर्त कला रूपों की बेहतर रूप से समझने के लिए छात्रों और शिक्षकों के लिए दृश्य-श्रव्य और मुद्रित शैक्षिक सामग्री का विकास करेंगे।

अनुच्छेद 10 विज्ञान संग्रहालय/केंद्र

दोनों पक्षकार भारत और केन्या में विज्ञान केंद्रों/संग्रहालयों और अनौपचारिक विज्ञान शिक्षा कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए एक वरिष्ठ स्तर के विज्ञान संचार पेशेवर का आदान-प्रदान करेंगे। केन्या के पेशेवर इंटरैक्टिव विज्ञान केंद्रों और अनौपचारिक विज्ञान अधिगम केंद्रों आदि के विकास के लिए सहयोगी मार्गों की

पहचान एवं उन्हें मजबूत करने के लिए एनसीएसएम संग्रहालय/केंद्र कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए भारत की यात्रा करेंगे। यात्रा की अवधि एक-एक सप्ताह की होगी।

अनुच्छेद 11 **नृविज्ञान**

दोनों पक्षकार दोनों देशों के विभिन्न संस्थानों से नृविज्ञान के विशेषज्ञों की यात्राओं का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 12 **समारोह**

दोनों पक्षकार एक-दूसरे देश में समारोह का आयोजन करेंगे, जिसमें प्रत्येक पक्षकार से कई प्रतिभागियों के प्रदर्शन कला समूहों की यात्राओं का आदान-प्रदान शामिल होगा। इन यात्राओं और अन्य कार्यकलापों का विवरण पारस्परिकता के आधार पर तैयार किया जाएगा।

अनुच्छेद 13 **जन संप्रेषण माध्यम**

1. दोनों पक्षकार अपने-अपने रेडियो और टीवी संगठन के माध्यम से दोनों देशों में जीवनशैली और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाले कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे।
2. दोनों पक्षकार कार्यक्रमों और पेशेवरों के आदान-प्रदान और अपने देशों में उपलब्ध प्रशिक्षण विशेषज्ञता और सुविधाओं का उपयोग करके अपने-अपने राष्ट्रीय प्रसारण संगठनों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। इस तरह के आदान-प्रदान के विवरण पर राजनयिक चैनलों के माध्यम से पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की जाएगी।
3. दोनों पक्षकार अपने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक-दूसरे को आमंत्रित करेंगे।

अनुच्छेद 14

युवा कार्यक्रम

दोनों पक्षकार युवा कार्यक्रमों के आदान-प्रदान, दोनों देशों में युवा उत्सवों में भागीदारी, युवा मामलों के प्रभारी अधिकारियों की यात्राओं और युवा मामलों में सहयोग के क्षेत्रों में अनुभव, कौशल, तकनीक, सूचना एवं ज्ञान साझा करने तथा युवाओं से संबंधित मुद्दों पर दोनों देशों में आयोजित संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 15

सामान्य एवं वित्तीय प्रावधान

क. व्यक्तियों, प्रतिनिधिमंडलों और प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान:

प्रत्येक पक्ष इस कार्यक्रम के तहत चयनित प्रतिनिधिमंडल या व्यक्तियों का बायोडाटा (बोली जाने वाली भाषाओं और प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम सहित) यात्रा की अपेक्षित तिथि से कम से कम दो महीने पहले और प्रदर्शनी में कला-प्रदर्शन करने वाले समूहों का बायोडाटा चार महीने पहले अन्य पक्ष को भेजेगा। प्राप्तकर्ता पक्षकार आगमन पर सहमत होने अथवा तिथि को स्थगित करने संबंधी जानकारी के बारे में अन्य पक्ष को कम से कम एक महीने पहले सूचित करेगा।

ख. प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान:

प्रचार करने वाले पक्षकार और प्राप्तकर्ता पक्षकार के बीच प्रदर्शनी और इसकी लागत के संबंध में एक अलग करार किया जाएगा। प्रेषक पक्षकार प्रस्तावित प्रदर्शनी के तकनीकी विवरण के बारे में प्राप्तकर्ता देश को सूचित करेगा। संगत कैटलॉग के विस्तार के लिए आवश्यक जानकारी उद्घाटन की तिथि से तीन महीने पहले भेजी जाएगी। कला प्रदर्शक प्रदर्शनी के उद्घाटन से 15 दिन पहले अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे।

ग. सामग्री का आदान-प्रदान

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार को सूचना, मास मीडिया के क्षेत्र में आदान-प्रदान की गई सामग्रियों को अपने कार्यक्रमों में उपयोग करने का अधिकार होगा और ऐसी सामग्री प्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा किसी तीसरे पक्षकार को नहीं दी जाएगी।

घ. वित्त

एक-दूसरे के देशों में समूहों, प्रतिनिधिमंडलों और प्रदर्शन करने वाले समूहों के प्रतिनिधियों की यात्रा के दौरान, प्रेषक पक्षकार अंतरराष्ट्रीय यात्रा व्यय प्रदान करेगा और प्राप्तकर्ता पक्षकार बोर्डिंग, भोजन और आंतरिक यात्रा व्यय के साथ-साथ आपातकालीन व्यय प्रदान करेगा।

ड. एक-माह अवधि की यात्राएं:

प्रेषक पक्षकार एक महीने से कम की अवधि की यात्रा के मामले में अपने प्रदर्शन समूहों और प्रतिनिधिमंडल के संबंध में अंतरराष्ट्रीय यात्रा व्यय प्रदान करेगा। प्राप्तकर्ता पक्षकार आतिथ्य प्रदान करेगा, जिसमें निःशुल्क भोजन एवं आवास, आंतरिक यात्रा व्यय और आकस्मिक बीमारी के मामले में मुफ्त चिकित्सा देखभाल शामिल है। यह दोनों पक्षकारों के संबंध में लागू है।

अनुच्छेद 16 विवादों का निपटान

1. दोनों पक्षकारों के बीच इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के निर्वचन, अनुप्रयोग या कार्यान्वयन से उत्पन्न किसी भी विवाद को राजनयिक माध्यम से दोनों पक्षकारों के बीच परामर्श या बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण रूप से निपटाया जाएगा।
2. इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के प्रावधान किसी भी पक्षकार को राजनयिक माध्यम से वांछनीय समझी जाने वाली अन्य व्यवस्थाओं पर सहमत होने से नहीं रोकेंगे।

अनुच्छेद 17 कार्यान्वयन के मूल सिद्धांत

दोनों पक्षकार अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सिद्धांतों एवं मूल्यों का पालन करेंगे जो लागू घरेलू कानूनों के अनुरूप होंगे।

अनुच्छेद 18

संशोधन

1. इस कार्यक्रम को दोनों पक्षकारों के बीच राजनयिक माध्यम से दस्तावेजों के आदान-प्रदान द्वारा दोनों पक्षकार की आपसी लिखित सहमति से किसी भी समय संशोधन किया जा सकता है।
2. ऐसे संशोधन किसी भी प्रकार के परिवर्तन से पहले हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किए जाएंगे, ऐसी तारीख से लागू होंगे जो पारस्परिक रूप से स्वीकार्य हो और इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा।
3. कोई भी संशोधन ऐसे संशोधन की तारीख से पहले इस कार्यक्रम से उत्पन्न होने वाले या इसपर आधारिक अधिकारों एवं दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा।

अनुच्छेद 19

समान क्रियाकलापों में भागीदारी

यह कार्यक्रम किसी भी तरह से किसी भी पक्षकार को अन्य सार्वजनिक या निजी संगठनों, एजेंसियों और व्यक्तियों के साथ समान क्रियाकलापों में भाग लेने से प्रतिबंधित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 20

सूचना एवं दस्तावेजों का उपयोग

प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार से प्राप्त तकनीकी दस्तावेज, आंकड़ों और जानकारी का उपयोग केवल दोनों पक्षकारों द्वारा अनुमोदित उद्देश्य के लिए करने का वचन देता है और दूसरे पक्षकार की पूर्व सहमति के बिना उन्हें किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेगा। इस कार्यक्रम की समाप्ति की स्थिति में, दोनों पक्षकार सहमत होंगे कि दोनों पक्षकारों के बीच गोपनीयता का संरक्षण करना जारी रखेंगे।

अनुच्छेद 21
ट्रेडमार्क, लोगो और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों का उपयोग

कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार की लिखित सहमति के बिना दूसरे पक्ष के ट्रेडमार्क, लोगो और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों का उपयोग नहीं करेगा।

अनुच्छेद 22
गोपनीयता

1. दोनों पक्षकार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान एक दूसरे से प्राप्त किसी भी जानकारी को गोपनीय रखेंगे।
2. कार्यक्रम के तहत सहकारी कार्यकलापों के परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी भी जानकारी का उपयोग केवल दोनों पक्षकारों के लाभ के लिए किया जाएगा। तीसरे पक्षकार को जारी की जाने वाली कोई भी जानकारी दोनों पक्षकारों की संयुक्त लिखित सहमति से होगी।

अनुच्छेद 23
समापन

1. कोई भी पक्षकार कार्यक्रम को समाप्ति तिथि से कम से कम छह (6) महीने पहले दूसरे पक्षकार को अपनी इच्छा की लिखित सूचना देकर इस कार्यक्रम को समाप्त कर सकता है।
2. कार्यक्रम से उत्पन्न होने वाली समाप्ति के समय चल रहे किसी भी कार्यकलाप को उनके समापन तक ले जाया जाएगा जैसे कि पहले कार्यक्रम लागू था।
3. इस कार्यक्रम के समाप्त होने की स्थिति में, प्रत्येक पक्षकार समाप्ति के बाद होने वाले किसी भी खर्च के भुगतान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

अनुच्छेद 24
लागू होना और अवधि


यह कार्यक्रम दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से लागू होगा और पांच साल की अवधि के लिए वैध रहेगा। इसे स्वतः एक बार में पांच वर्ष की अगली अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा, जब तक कि दोनों में से कोई भी पक्षकार कार्यक्रम को समाप्त करने के अपने आशय के विषय में दूसरे पक्षकार को छह महीने पूर्व लिखित सूचना नहीं देता है।

इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत होकर अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं, प्रत्येक की मूल प्रतियों में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में किसी भी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।


नई दिल्ली में दिसंबर 2023 के 05 वें दिन हस्ताक्षर किए गए।

भारत गणराज्य की सरकार के लिए

केन्या गणराज्य की सरकार के लिए



श्री गोविंद मोहन
सचिव
संस्कृति मंत्रालय



माननीय डॉ. मुसालिया मुदावडी, ईजीएच
प्रधान कैबिनेट सचिव एवं
कैबिनेट सचिव, विदेश एवं प्रवासी मामले